न्यायालय सहायक कलक्टर, बाप, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी सुमित्रा पारिक (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण

1. माणकराम पुत्र बीराबलराम
2. पांचाराम पुत्र बीरबलराम
3. भगवानाराम पुत्र दलाराम
4. लक्ष्मणराम पुत्र बीरबलराम
5. बंशीलाल पुत्र बीरबलराम
6. गिरधारीराम पुत्र हेमाराम
7. अर्जुनराम पुत्र बगताराम
8. शिवप्यारी पत्नी माणकराम

जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा
तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

अप्रार्थी

1. जालूराम पुत्र भैराराम
2. भैराराम पुत्र अनोपाराम

सभी जाति सुथार निवासी
श्रीरामपुरा (कानसिंह की सिड़)
तहसील बाप जिला जोधपुर

3. राजस्थान सरकार जरिये
श्रीमान् तहसीलदार, बाप

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्या :– 114/2016

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोलंकी उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं
3. अप्रार्थी सख्या 2 की ओर अधिवक्ता मदनसिंह भाटी उपस्थित
4. अप्रार्थी सख्या 3 तहसीलदार बाप स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 4.01.18

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 536 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 537 रकबा 50.04 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 537/1 रकबा 38 बीघा, प्रार्थी संख्या 4 व 5 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 537/2 रकबा 68 बीघा, प्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 36.08 बीघा, प्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 537/3 रकबा 44 बीघा एवं प्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 535 रकबा 1.18 बीघा भूमि सरहद मौजा कानसिंह की सिड़ पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में स्थित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है और अपने अपने हिस्से की भूमि पर अलग अलग रहवासीय ढाणीयां वगैरा बना रखी है। जिसमें प्रार्थीगण अपने अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते है तथा उक्त खसरान् की भूमि पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा प्रति वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग तथा उपभोग लेते आ रहे है। उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में तो अलग अलग दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शा ट्रैस में उक्त भूमि सामलाती ही दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार बाप ने आदेश क्रमांक 213 व 214 दिनांक 13.01.2016 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का

प्रदान किये जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 19.07.2016 को प्रार्थीगण के उक्त वर्णित खसरान् भूमि की विधिवत् पैमाईश प्रार्थीगण एवं रूबरू मौतबीरान् मुस्तकील बिन्दु से प्रार्थीगण एंव मौतबीरान् को र्थीगण के उक्त खसरान् की भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जिस पर प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पश्चिम शा के भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 55.12 बीघा के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पटवारी हल्का द्वारा गई पैमाईश से सहमत नही हुवे और प्रार्थीगण को अपनी उक्त खसरान् की भूमि की पटवारी हल्का द्वारा रवाये गये सीमाज्ञान अनुसार खुंटे रोपने से मना किया। इसलिये प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि की पैमाईश, माईश टीम का गठन करवाकर पैमाईश अनुसार उक्त भूमि की पत्थरगढी अपनी हद में करवाने के अधिकारी प्रार्थीगण को उक्त खसरान् की भूमि का सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण वे उक्त भूमि की स्थाई सीमा चिन्ह खुंटे रोप कर तारबंदी नही कर पा रहे जिससे उक्त खसरान् की भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने की म्भावना बनी रहती है। बिना पत्थर गड़डी किये प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर तारबंदी नहीं की जा सकेगी जिससे प्रार्थीगण के खेत में होने वाली फसल को आवारा पशुओं से खतरा है जिससे प्रार्थीगण को इररिपेबली लॉस एव इन्जरी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं की जा सकेगी। इसलिये प्रार्थीगण उक्त खसरान् की भूमि की पैमाईश टीम का गठन करवाकर उक्त भूमि की पैमाईश करवाकर पैमाईश अनुसार अपनी हद में स्थाई सीमा चिन्ह के रूप में पत्थर गढी करवाना चाहते है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को सम्मन भेजा गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजुद नोटित तामिल उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता मदनसिंह भाटी ने जवाब पेश किया उक्त भूमि की पुनः पैमाईश कर खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावे। अप्रार्थी संख्या 3 ने स्वयं उपस्थित हांकर जवाब पेश किया तथा अपने जवाब में बताया कि प्रार्थीगण के उक्त खसरान् की भूमि की पुनः पैमाईश की जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली बहस में रखी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 536 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 537 रकबा 50.04 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 537/1 रकबा 38 बीघा, प्रार्थी संख्या 4 व 5 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 537/2 रकबा 68 बीघा, प्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 36.08 बीघा, प्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 537/3 रकबा 44 बीघा एवं प्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 535 रकबा 1.18 बीघा भूमि सरहद मौजा कानसिंह की सिड़ पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में स्थित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है और अपने अपने हिस्से की भूमि पर अलग अलग रहवासीय ढाणीयां वगैरा बना रखी है। जिसमें प्रार्थीगण अपने अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते है तथा उक्त खसरान् की भूमि पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा प्रति वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग तथा उपभोग लेते आ रहे है। उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में तो अलग अलग दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शा ट्रैस में उक्त भूमि सामलाती ही दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार बाप ने आदेश क्रमांक 213 व 214 दिनांक 13.01.2016 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को प्रदान किये जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 19.07.2016 को प्रार्थीगण के उक्त वर्णित खसरान् की भूमि की विधिवत् पैमाईश प्रार्थीगण एवं रूबरू मौतबीरान् मुस्तकील बिन्दु से प्रार्थीगण एंव मौतबीरान् को प्रार्थीगण के उक्त खसरान् की भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जिस पर प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पश्चिम दिशा के भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 55.12 बीघा के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पटवारी हल्का द्वारा की गई पैमाईश से सहमत नही हुवे और प्रार्थीगण को अपनी उक्त खसरान् की भूमि की पटवारी हल्का द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान अनुसार खुंटे रोपने से मना किया। इसलिये प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि की पैमाईश, पैमाईश टीम का गठन करवाकर पैमाईश अनुसार उक्त भूमि की पत्थरगढी अपनी हद में करवाने के अधिकारी है प्रार्थीगण को उक्त खसरान् की भूमि का सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण वे उक्त भूमि की स्थाई सीमा चिन्ह खुंटे रोप कर तारबंदी नही कर पा रहे जिससे उक्त खसरान् की भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है। बिना पत्थर गड़डी किये प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर तारबंदी नहीं की जा सकेगी जिससे प्रार्थीगण के खेत में होने वाली फसल को

आवारा पशुओं से खतरा है जिससे प्रार्थीगण को इररिपेबली लॉस एव इन्जरी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं की जा सकेगी। इसलिये प्रार्थीगण उक्त खसरान् की भूमि की पैमाईश टीम का गठन करवाकर उक्त भूमि की पैमाईश करवाकर पैमाईश अनुसार अपनी हद में स्थाई सीमा चिन्ह के रूप में पत्थर गढी करवाना चाहते है।

अप्रार्थी सख्या 2 के अधिवक्ता ने भी अपनी बहस में बताया कि उक्त भूमि की पुनः पैमाईश कर प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थर गढी की जावे तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण के उक्त खसरान् की भूमि की पुनः पैमाईश की जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर पत्थरगढी की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072, राजस्व नक्शा का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 536 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 537 रकबा 50.04 बीघा, खसरा नम्बर 537/1 रकबा 38 बीघा, खसरा नम्बर 537/2 रकबा 68 बीघा, खसरा नम्बर 534 रकबा 36.08 बीघा, खसरा नम्बर 537/3 रकबा 44 बीघा एवं खसरा नम्बर 535 रकबा 1.18 बीघा भूमि सरहद मौजा कानसिंह की सिड़ पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के प्रार्थीगण रेकर्ड खातेदार है। तहसीलदार बाप ने भी उक्त खसरान् की भूमि की पुनः पैमाईश कर पत्थर गढी किये जाने की अनुसंषा की हैं। इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि की अपनी हद में पत्थर गढी करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कानसिंह की सिड़ पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 536 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 537 रकबा 50.04 बीघा, खसरा नम्बर 537/1 रकबा 38 बीघा, खसरा नम्बर 537/2 रकबा 68 बीघा, खसरा नम्बर 534 रकबा 36.08 बीघा, खसरा नम्बर 537/3 रकबा 44 बीघा एवं खसरा नम्बर 535 रकबा 1.18 बीघा भूमि की पुनः पैमाईश कर अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे उक्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 4.1.18 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी बाप
(सुमित्रा पारिक)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)